PAGE 1 OF 3	अभियोजन साक्षी संख्याः 01

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।		
सत्र वाद संख्या- 504/2025		
राज्य	**बनाम**	राजन यादव आदि

नाम साक्षीः **सुरेश कुमार पुत्र श्री रामसेवक**	**अपराध संख्या-61/2019**
उम्रः लगभग 65 वर्ष, **पेशाः कृषि**	**धारा- 147, 308, 323, 452, 504, 506 भादवि**
पता साक्षीः **ग्राम सजेती, थाना-सजेती, जनपद-कानपुर नगर**	**थाना-सजेती, कानपुर नगर।**

<u>दिनांकः-10.04.2026</u>

मैं **साक्षीः सुरेश कुमार पुत्र श्री रामसेवक, उम्रः लगभग 65 वर्ष, पेशाः कृषि, पता साक्षीः ग्राम सजेती, थाना-सजेती, जनपद-कानपुर नगर** शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि.....

1. मैं गाँव सजेती में रहकर खेती करता हूँ। मेरे दो बेटे हैं। मेरे बड़े बेटे का नाम योगेन्द्र व छोटे बेटे का नाम योगेश है। मेरी पत्नी का नाम शारदा है। मेरे दोनों बेटों की शादी हो चुकी है।

2. मेरे गाँव के शिवनारायण सिंह के साथ मेरा जमीनी विवाद चलता था। गाँव के भले लोगों के बीच में पड़ जाने के कारण समझौता हो गया था। शिवनारायण ने पहले समझौता मान लिया था। कुछ समय बाद शिवनारायण ने समझौता मानने से इंकार कर दिया और पुनः मेरी जमीन पर कब्जा करने लगे। मेरे द्वारा ऐसा करने से मना किया गया था किन्तु शिवनारायण नहीं माने।

HANS PRAKASH DIXIT

3. दिनांक 05.01.2019 की दोपहर समय 03:30 बजे मैं अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। मेरे साथ मेरे दोनों बेटे योगेन्द्र व योगेश भी दरवाजे पर बैठे थे कि तभी गाँव के शिवनारायण व उनका बेटा राजन, राजन की पत्नी मीनाक्षी, अन्नू यादव व संतोष यादव मेरे घर के दरवाजे पर आए और कहने लगे कि ये हमारी जमीन है। हम इस जमीन पर कब्जा करेंगे। मैंने व बेटे योगेश ने जब उक्त लोगों को समझाने का प्रयास किया तो उक्त लोग गाली देने लगे। इतने में मीनाक्षी ने शिवनारायण, राजन, अन्नू व संतोष को उकसाते हुए कहा कि इन सबको मार डालो, जमीन पर कब्जा हमारा रहेगा। इतने में सभी लोग एकराय होकर मेरे साथ लाठी, डंडा व फरसे से मारपीट करने लगे। जब मेरा बेटा योगेश मुझे बचाने आया तो उक्त लोगों ने उसे भी मारापीटा। हमलोग बचते हुए घर के अंदर की तरफ भागे तो उक्त सभी लोगों ने घर के अंदर घुसकर मुझे, मेरे बेटे योगेश, मेरी बहू महिमा के साथ मारपीट की जिससे मेरे सिर व शरीर में कई गंभीर चोटें आई थीं। योगेश की पीठ व पैर में चोटें आई थीं। महिमा के पैर में चोट आई थी। मैं बुरी तरह से घायल हो गया था। हमलोगों के शोर मचाने पर स्थानीय लोग आ गए थे तब उक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गए थे।

4. मेरे बड़े बेटे योगेन्द्र ने घटना की सूचना पुलिस को 112 नम्बर पर दी थी। पुलिस मौके पर आयी थी। पुलिस मेरे बेटे योगेन्द्र व राजन को थाने ले गई थी। हम घायलों को पुलिसवालों ने घाटमपुर स्थित अस्पताल जाने के लिए कहा था। मैं, मेरा बेटा योगेश व बहू महिमा घाटमपुर स्थित अस्पताल गए थे। मेरी हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने मुझे उर्सला अस्पताल कानपुर रेफर कर दिया था। योगेश व महिमा का इलाज घाटमपुर स्थित अस्पताल में ही हुआ था। मेरा इलाज उर्सला अस्पताल कानपुर में हुआ था। मैं उर्सला अस्पताल में लगभग आठ-दस दिन तक भर्ती रहा था।

5. इस घटना के संबंध में मैंने पहले थाना सजेती में प्रार्थना-पत्र दिया था किन्तु थाना स्तर से कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। इसके बाद मैंने पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना-पत्र दिया था तब मेरा मुकदमा थाना सजेती में दर्ज हुआ था। साक्षी ने पत्रावली में मौजूद मूल तहरीर पर बने बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। जिस पर **प्रदर्श P-1** अंकित किया गया।

6. घटना के संबंध में पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी। मैंने पुलिस को सारी बात बता दी थी।

HANS PRAKASH DIXIT

प्रतिपरीक्षा

स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत। स्थगन प्रार्थना-पत्र 500/- रुपये हर्जे पर इस निर्देश के साथ स्वीकृत कि इसके पश्चात अवसर नहीं दिया जायेगा।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।

HANS PRAKASH DIXIT